

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी- श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 10/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कुंभाराम पुत्र रुगाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी		1. अचलाराम पुत्र रुगाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप०। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 03.09.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत ग्राम एड अमरसिंह खसरा संख्या 198/195 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 214/195 रकबा 0.2023 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अलग-अलग हिस्से दर्ज हैं एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेटों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे हैं व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेटों को तोड़ रहे हैं एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमामादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से



तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमिमें विप्रार्थी विशिष्ट भूमि-भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे हैं तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे हैं। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्ड्ड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु विप्रार्थी द्वारा सड़क किनारे विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ग्राम एड अमरसिंह खसरा संख्या 198/195 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 214/195 रकबा 0.2023 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार कीदुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम एड अमरसिंह खसरा संख्या 198/195 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 214/195 रकबा 0.2023 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग-अलग हिस्से दर्ज हैं एवं इसी हिस्से में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थी के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थी, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे हैं व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे हैं एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते हैं जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण

एक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थी बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जंहा तक खातेदारी की सामलाती भूमि पर कब्जा करने तथा पक्का निर्माण अत्यादि नहीं करने अथवा सड़क मार्ग तक आने-जाने नहीं देने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जहां तक पक्षकारान के मध्य सामलाती खातेदारी के खेत के विभाजन का होने व उसे बेदखल करने का प्रश्न है, उसके निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये विभाजन के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणघरी

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणघरी